न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

82/2025

आज्ञा – पत्र

रामकिशन बनाम अमरलाल किस्म मुकदमा –225 अपील संख्या – 2025/165

अभिभाषक अपीलांट – श्री जगदीश नंदवाना अभि0 रेस्पो0 –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/07/2025	विद्वान अभिभाषक श्री जगदीश नंदवाना की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंता, जिला बारां के प्रकरण संख्या 31/2025 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि को रहन, बेचान करने से रोकने से प्रार्थी अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर कर्ज लेने से महरूम हो रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित की जाये। हमने प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत अंतरिम आदेश दिनांक 19.05.2025 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.05.2025 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी विवादित आराजी के सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेंट के हिस्से की आराजी तक अस्थायी निषेधाज्ञा. जारी नहीं कर सम्पूर्ण आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए सहखातेदारान को पाबंद किया है जो विधिसम्मत नहीं है। साथ ही अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए समय सीमा नियत नहीं करते हुए सीधे ही पत्रावली तलवी में पेश हो, अंकित किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि अस्थायी निषेधाज्ञा, प्रार्थना पत्र धारा 212 के निष्पादन तक के लिए जारी की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा पारित अंतरिम आदेश आगामी तारीख पेशी तक अथवा प्रतिवादी के उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने तक का नहीं होकर, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतिम निस्तारण तक दिया जाना प्रतीत होता है, जो कि न्यायोचित नही है।	

...2

प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.05.2025 से अपीलांट के विरूद्ध बिना सुने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो विधिविरूद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2025 की कियान्विति स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण अर्जेंट नेचर का होने के कारण शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को भी शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 की कियान्विति स्थगित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/07/2025

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2117

न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा

:–अपील टीनेन्सी एक्ट, जिला बांरा, संख्या– /2025

रामकिशन आत्मज नन्दलाल जाति बंजारा निवासी बम्बूलिया, जोगियान तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0) –अपीलाण्ट,

बनाम

1–अमरलाल आत्मज नन्दलाल जाति बंजारा,

2–राकेश दत्तक पुत्र हीरालाल जाति बंजारा,

3–बलराम आत्मज नन्दा जाति बंजारा निवासीगण बम्बूलिया, जोगियान तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

4–मांगीबाई पुत्री नन्दा पत्नी भाणा जाति बंजारा निवासी बरडिया तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

5–मोरपाल आत्मज नन्दा जाति बंजारा निवासीगण बम्बूलिया, जोगियान तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

6–शेलन्ता पुत्री नन्दा पत्नी भंवरलाल जाति बंजारा निवासी बरडिया तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

7–कमलेश बाई पत्नी राधेश्याम जी जाति बंजारा निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

8–राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

– रेस्पोण्डेन्टस्

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 19.05.2025 व 11.07. 2025, योग्य उपखण्ड अधिकारी अन्ता, अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट,

मान्यवर,

अपीलाण्ट निम्न लिखित आधार पर अपील प्रस्तुत करता है :–

1–यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत है, तथा निरस्तनीय है ।

2–यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम बम्बूलिया जोगियान तहसील अन्ता की खतोनी– 72 की खसरा नम्बर–29, 30, 32, 52, 53, की 3.82 हैक्टयर के सम्बन्ध मे एक कोटीनेन्ट वादी रेस्पोण्डेन्ट नम्बर–1 के पक्ष मे अन्य संयुक्त खातेदारों के विरूद्ध रहन, बेचान, निर्माण नही करने के सम्बन्ध मे एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने मे अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है ।

3–यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज किया है कि रेस्पोण्डेन्ट का जमाबन्दी के अनुसार 1/84 हिस्सा है, के पक्ष मे पूरी भूमि को खुर्द बुर्द नही करने से पाबन्द करने मे भारी त्रुटि की है, जबकि एक कोटीनेन्ट को उसके हिस्से से ज्यादा की रिलीफ नही दी जा सकती, इसी प्रकार अपीलाण्ट एवं अन्य कोटीनेन्ट को उनके हिस्से तक की भूमि को रहन, बेचान करने से नही रोका जा सकता ।